कार्यालयः- अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) गढ़वाल मण्डल पौड़ी

E-mail- adgarhwalmandalpauri@gmail.com

पत्रांक/सेवा0अराज0/ 351 /3क(2)/वा0स्था0/2024-25 दिनांक 11 जुलाई, 2024

प्रेस विज्ञप्ति/सूचना

शासनादेश संख्याः 1016/XXIV-B-1/24/07(04)/2016 दिनांक 04 जुलाई, 2024 के द्वारा विद्यालयी शिक्षा के अन्तर्गत समस्त शिक्षकों के वार्षिक स्थानान्तरण काउसिलिंग के माध्यम से किये जाने की अनुमति प्रदान की गई है, उक्त के क्रम में गढ़वाल मण्डलान्तर्गत सहायक अध्यापक (एल0टी0 वेतनक्रम) के पात्र शिक्षकों की काउसिलिंग **कार्यालय अपर शिक्षा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा गढ़वाल मण्डल पौड़ी** के सभागार में की जानी है। जिसमें सम्बन्धित शिक्षक-शिक्षिकाओं द्वारा विभागीय वेबसाईट पर पदर्शित रिक्ति के सापेक्ष काउसिलिंग के माध्यम से विकल्प प्रस्तुत किये जा सकेगें। सम्बन्धित शिक्षक-शिक्षिकाएं अपनी श्रेणी के अनुसार निम्नांकित सारणी के स्तम्भ-2 में अंकित तिथि के अनुसार कउसिलिंग स्थल पर **प्रातः 09:30 बजे** अनिवार्य रूप से उपस्थित होना सुनिश्चित करेगें। सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका काउसिलिंग के दिन अपने साथ विभागीय पोर्टल की प्रति/कार्यरत प्रमाण पत्र (प्रधानाचार्य द्वारा प्रति हस्ताक्षरित) एवं आधार कार्ड की मूल प्रति एवं आवश्यक प्रमाण पत्र मूल रूप में अनिवार्य रूप से अवलोकित कराना सुनिश्चित करेगें। शिक्षक-शिक्षिकाओं के श्रेणीवार आवेदन जो जनपदों से इस कार्यालय को प्राप्त हुए हैं, उनकी पात्रता सूची श्रेणीवार (सामान्य शाखा/महिला शाखा) विभाग की वेबसाईट www.schooleducation.uk.gov.in पर अपलोड की जा रही है। यदि कोई शिक्षक-शिक्षिका उक्त तिथि को विलम्ब से उपस्थित होते है अथवा अनुपस्थित रहते है, तो ऐसी स्थिति में पात्रता सूची में अंकित अगले शिक्षक को उनके द्वारा प्रस्तुत विकल्प के अनुसार विद्यालय आंवटित कर दिया जायेगा। सुगम से दुर्गम एवं दुर्गम से सुगम श्रेणी में अनिवार्य स्थानान्तरण की पात्रता सूची में 15 प्रतिशत की सीमा के अन्तर्गत समिल्लित शिक्षक की काउसिलिंग प्रक्रिया में अनुपस्थिति की दशा में वर्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में उल्लिखित प्राविधानानुसार/उनके द्वारा पूर्व में दिये गये विकल्प/विकल्प के अनुसार स्थान उपलब्ध न होने पर सुगम में अथवा दुर्गम में ठहराव की स्थिति के अनुसार स्थानान्तरित कर दिया जायेगा। काउसिलिंग हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। बरसात/अतिवृष्टि के दृष्टिगत आवागमन बाधित होने की सम्भावना बनी रहती है। अतः काउसिलिंग में प्रतिभाग करने वाले शिक्षक-शिक्षिकायें मौसम के पूर्वानुमान के आधार पर यथा समय प्रतिभाग करने हेतु तैयारी कर लें।

काउसिलिंग समय-सारणी सहायक अध्यापक(एल0टी0)

दिनांक	स्थानान्तरण का प्रकार
18-07-24 वृहस्पतिवार महिला शाखा	17 (क) सुगम स्थान से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण। 17(ख)(एक) गम्भीर रोग ग्रस्त/विकलांग कार्मिकों द्वारा स्वयं अथवा पति/पत्नी (यथा लागू) की गम्भीर रोग ग्रस्तता/विकलांगता के आधार पर अनुरोध। 17(ख)(दो) मानसिक रूप से विक्षिप्त एवं लाचार बच्चों के माता पिता के अनुरोध। 17(ख)(तीन) सेवारत पति-पत्नी जिनका इकलौता पुत्र/पुत्री विकलांग हो। 17(ख)(चार) उत्तराखण्ड सरकार की सेवा में कार्यरत पति/पत्नी द्वारा सामान्य श्रेणी के स्थल/क्षेत्र में तैनाती हेतु अनुरोध। 17(ख)(पांच) विधवा, विधुर, सक्षम न्यायालय के आदेश से घोषित परित्यक्ता एवं तलाकशुदा तथा वरिष्ठ कार्मिकों द्वारा अनुरोध। 17(ख)(छः) दुर्गम कार्यस्थल से से दुर्गम कार्यस्थल/क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु अनुरोध। 17(ख)(सात) सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु अनुरोध। 17(ग) दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण।
18-07-24 वृहस्पतिवार सामान्य शाखा	17 (क) सुगम स्थान से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण।
19-07-24 (शुक्रवार) सामान्य शाखा	17(ख)(एक) गम्भीर रोग ग्रस्त/विकलांग कार्मिकों द्वारा स्वयं अथवा पति/पत्नी (यथा लागू) की गम्भीर रोग ग्रस्तता/विकलांगता के आधार पर अनुरोध। 17(ख)(दो) मानसिक रूप से विक्षिप्त एवं लाचार बच्चों के माता पिता के अनुरोध। 17(ख)(तीन) सेवारत पति-पत्नी जिनका इकलौता पुत्र/पुत्री विकलांग हो। 17(ख)(चार) उत्तराखण्ड सरकार की सेवा में कार्यरत पति/पत्नी द्वारा सामान्य श्रेणी के स्थल/क्षेत्र में तैनाती हेतु अनुरोध। 17(ख)(पांच) विधवा, विधुर, सक्षम न्यायालय के आदेश से घोषित परित्यक्ता एवं तलाकशुदा तथा वरिष्ठ कार्मिकों द्वारा अनुरोध।
20-07-24 (शनिवार) सामान्य शाखा	17(ख)(छः) दुर्गम कार्यस्थल से से दुर्गम कार्यस्थल/क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु अनुरोध। (क्रमांक 01 से 650 तक)
21-07-24 (रविवार) सामान्य शाखा	17(ख)(छः) दुर्गम कार्यस्थल से से दुर्गम कार्यस्थल/क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु अनुरोध। (क्रमांक 650 से 1052 तक) 17(ख)(सात) सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु अनुरोध।
22-07-24 (सोमवार) सामान्य शाखा	17 (ग) दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण।

डॉ0(एस0बी0 जोशी)
अपर शिक्षा निदेशक (मा.शि.)
गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

पृ0सं0/सेवा0अराज0/ 4977-87/3क(2)/ वा.स्था. /2024–25 दिनांक उक्तवत्
प्रतिलिपिः–
1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।
2. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी गढ़वाल मण्डल।
3. समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी, गढ़वाल मण्डल।
4. समस्त प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या/प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका गढ़वाल मण्डल।
5. एम0आई0एस0 प्रभारी, महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून उक्त सूचना विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित/अपलोड करने का कष्ट करेगें।
6. सम्पादक दैनिक समाचार पत्र, हिन्दुस्तान को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त सूचना को दिनांक 12 जुलाई, 2024 को अपने लोकप्रिय समाचार पत्र में न्यूनतम स्पेस में राजकीय दरों पर प्रकाशित करने का कष्ट करें।
7. कार्यालय पत्रावली।

अपर शिक्षा निदेशक (मा.शि.)
गढ़वाल मण्डल पौड़ी।